केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली - 110067.
••••••

दिनांक. 04.02.2019

प्रथम अपील सं. CIC/AA/A/2019/28
संदर्भ संचिका सं. CICOM/A/2019/00021
CICOM/R/2018/01104

अपीलकर्ता : श्री बाबू लाल पंवार,
हिन्दुस्तान जिंक कालोनी,
क्वार्टर नं.ए-45, ग्राम, पो० व तह० – हुरड़ा,
जिला – भीलवाड़ा, राजस्थान – 311022.

निर्णय की तारीख : 04.02.2019

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	12.11.2018
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	05.12.2018, 31.12.2018
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री टी. के. महोपात्रा
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	21.01.2019
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय का डायरी सं. व तिथि	43/28.01.2019 (7954/25.01.2019)

1. अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 12.11.2018 के आर.टी.आई. आवेदन के माध्यम से द्वितीय अपील सं. CIC/OTCLC/A/2018/154780 की संपूर्ण नकल की प्रमाणित प्रतियाँ मांगी गई थी, जिसके प्रतिउत्तर में श्री टी. के. महोपात्रा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा दिनांक 05.12.2018 को सूचित किया गया कि वांछित सूचना 66 पृष्ठों की है जिसकी प्राप्ति के लिए 2 रु० प्रति पृष्ठ की दर से 132 रु० अतिरिक्त राशि जमा करवाएं । अपीलकर्ता द्वारा अतिरिक्त राशि के भुगतान के बाद वांछित सूचना श्री टी. के. महोपात्रा द्वारा दिनांक 31.12.2018 को उपलब्ध करवा दी गई । अपीलकर्ता द्वारा प्रथम अपील आवेदन में उल्लेख किया गया है कि अतिरिक्त राशि के भुगतान के बाद उन्हें प्रदान की गई सूचना अधूरी है ।

2. संबंधित संचिका (प्रथम अपील आवेदन, आर.टी.आई. आवेदन एवं प्रदान की गई सूचना) का अवलोकन किया गया तथा संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी श्री टी. के. महोपात्रा को संबंधित दस्तावेजों सहित बुलाया गया । श्री टी. के. महोपात्रा ने बताया कि द्वितीय अपील सं. CIC/OTCLC/A/2018/154780 से संबंधित उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजों की प्रतियाँ दिनांक 31.12.2018 को अपीलकर्ता को प्रेषित की जा चुकी है, प्रेषित की गई सूचना के अतिरिक्त कोई अन्य दस्तावेज उपलब्ध नहीं है । उक्त परिप्रेक्ष्य में श्री टी. के. महोपात्रा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान गई सूचना बिल्कुल तथ्यानुसार है तथा इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है ।

3. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

4. प्रस्तुत संदर्भ मे अपीलकर्ता यदि इस आदेश/निर्णय से संतुष्ट न हों तो अधिनियम की धारा 19(3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति के 90 दिनों के अंदर केन्द्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली – 110067 में की जा सकती है ।

C.I.C./के० सू० आ०
RECEIVED
05 FEB 2019
D. No.
Initials.

(आर. के. सिंह)
अपर सचिव एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष – 011-26162290

प्रतिलिपि :
1. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली ।

05/02/19